

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार -I

स्व आवेदन सं. 42/2025

प्रार्थी	बं नाम	विप्रार्थीगण
1. जगमाल राम पुत्र जोधाराम, जाति-जाट, नि0 देवडों की बस्ती तह0 गडरारोड़ जिला बाड़मेर		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़ 2. उगरा पुत्र जोधा 3. सता पुत्र जोधा, जाति-जाट, नि0 देवडों की बस्ती तह0 गडरारोड़, जिला बाड़मेर

उपस्थित :-1. श्री ब्रजमोहनसिंह वकील प्रार्थी

2. श्री कंवरज बैनिवाल वकील विप्रार्थी संख्या 2 से 3

3. राज पेरोकार तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

-: आदेश:-

दिनांक : 15.01.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी का मौजा-बालेवा, पटवार मण्डल- बालेवा, तह0 गडरारोड़ में खसरा नम्बर 743/607 रकबा 19.1902 हैक्टेयर आया हुआ है। जो प्रार्थी की खरीदसुद्धा सम्पत्ति है जो प्रार्थी के पिता जोधाराम की मृत्यु के पश्चात् पारित नामान्तरण संख्या 1140 करते समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी का नाम जगमाल राम के स्थान पर जगरूप अंकित कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के पिता जोधाराम के जगरूप नाम से कोई संतान नहीं थी। प्रार्थी के अन्य संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा-देवडों की बस्ती तह0 गडरारोड़ में खसरा नम्बर 527, 528, 529, 533, 540 कुल रकबा 38.9144 हैक्टेयर तथा मौजा देवडों की बस्ती तह0 गडरारोड़ में खसरा नम्बर 545 रकबा 16.7378 हैक्टेयर आए हुए हैं। जिसमें प्रार्थी का सही नाम जगमाल दर्ज है। परन्तु ग्राम बालेवा में प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश कमशः जगरूप अंकित कर दिया गया। इस प्रकार मौजा-बालेवा पटवार मण्डल- बालेवा तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 743/607 रकबा 19.1902 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम जगरूप के स्थान पर जगमाल राम राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दुरस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजीयन कर तहसीलदार गडरारोड़ को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 3 के अधिवक्ता कंवरज बैनिवाल द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थी के नाम को सही करने में अपनी सहमति प्रदान की है। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के बोलचाल का नाम दर्ज किये जाने से तथा उनके अन्य दस्तावेजात में नाम की भिन्नता होने से वे किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अतः प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दुरस्त करवाने के अधिकारी है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य समस्त दस्तावेजात में उनके नाम जगमाल राम दर्ज है। किन्तु राजस्व रेकर्ड में उनकी प्रविष्टियां जगरूप के रूप में दर्ज की गई है। प्रार्थी के दस्तावेजात के अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।



लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बालेबा, पटवार मण्डल-बालेबा, तहसील गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 743/607 रकबा 19.1902 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में विद्यमान प्रविष्टि जगरूप को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर "जगमाल राम" दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गडरारोड़ को तदनुसार दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

आदेश आज दिनांक 15.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़